



**भारतीय रिज़र्व बँक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल email: [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 91 22 2266 0502 फॅक्स/Fax: 91 22 22660353

मे 03, 2016

**आरबीआयकडून 6 एनबीएफसींची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द**

भारतीय रिज़र्व बँकेने पुढील सहा अबँकीय वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी), पंजीकरण प्रमाणपत्रे, भारतीय रिज़र्व बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 45आय(6) खाली तिला मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून रद्द केली आहेत.

| अनु क्रमांक | कंपनीचे नाव                                      | पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता  | सीओआर क्र.  | देण्याची तारीख      | रद्दीकरण-आदेशाची तारीख |
|-------------|--|--|-------------|---------------------|------------------------|
| 1.          | मेसर्स ग्यानिजय ट्रेडकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड      | 43, रफी अहमद किडवाई रोड, कोलकाता - 700016                                | बी.05.03365 | जानेवारी 19, 2001   | फेब्रुवारी 17, 2016    |
| 2.          | मेसर्स ऍक्युरेट ट्रेडिंग प्रा. लि                | 158, जमनालाल बजाज मार्ग, केशोराम कटरा, 3 रा मजला, कोलकाता - 700007       | 05.00681    | मार्च 06, 1998      | फेब्रुवारी 17, 2016    |
| 3.          | मेसर्स नवनीत विनिमय (पी) लिमिटेड                 | नानगी स्टेशन रोड, भटनागर, महेशताला, 24 परगणा (एस), पश्चिम बंगाल - 743313 | 05.01770    | एप्रिल 29, 1998     | फेब्रुवारी 17, 2016    |
| 4.          | मेसर्स राहुल फिनट्रेड प्रा. लि                   | 41, शिबतोला स्ट्रीट, कोलकाता - 700007                                    | 05.02134    | मे 09, 1998         | फेब्रुवारी 18, 2016    |
| 5.          | मेसर्स एस.ए. मर्कन्टाईल कमर्शियल (पी) लिमिटेड    | एस. ए. कन्सलटंटस, नानगी कुसुमुद्दीन रोड, बतनगर, पश्चिम बंगाल - 743313    | 05.00230    | फेब्रुवारी 20, 1998 | फेब्रुवारी 18, 2016    |
| 6.          | मेसर्स ब्रिंदाबन होल्डिंग्स अँड ट्रेडिंग लिमिटेड | 403-के, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई - 400071                        | 13.00106    | फेब्रुवारी 26, 1998 | मार्च 23, 2016         |

ह्या कारणास्तव, भारतीय रिज़र्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45आय च्या पोटकलम (अ) नुसार, ह्या कंपन्या, एक अबँकीय वित्तीय कंपनी म्हणून व्यवसाय/व्यवहार करू शकणार नाहीत.

अजित प्रसाद

वृत्तपत्र निवेदन : 2015-2016/2560

सहाय्यक सल्लागार